

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर 2013—कार्तिक 15, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. 67-एफ-1-33-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 32 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप—एक

[नियम 3 (1) देखिए]

मतदाताओं की सूची-1994

*नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम

जिला वार्ड क्रमांक मतदाता सूची का भाग क्रमांक (यदि कोई हो)

| अनुक्रमांक (1) | मकान क्रमांक (2) | मतदाता का नाम (3) | पिता/पति का नाम (4) | पुरुष/महिला (5) | आयु (6) | मतदाता का फोटो (7) |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | |

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दें.

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका).

अनुपूरक मतदाता सूची

वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम मतदाता सूची का भाग क्रमांक (यदि कोई हो)

(1) परिवर्धन सूची

| अनुक्रमांक (1) | मकान क्रमांक (2) | मतदाता का नाम (3) | पिता/पति का नाम (4) | पुरुष/महिला (5) | आयु (6) | मतदाता का फोटो (7) |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | |

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका).

No. 67-F-1-33--2013-XV-III-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 14 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with sub-section (2) of Section 32 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for Form-1, the following form shall be substituted, namely :—

“FORM-1

[See Rule 3(1)]

LIST OF VOTERS-1994

*Name of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Parishad

District Ward No. Voter's List Part No. (if any)

| Serial No. (1) | House No. (2) | Name of Voter (3) | Father's/Husband's Name (4) | Male/Female (5) | Age (6) | Photo of Voter (7) |
|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | |

*Score out word not applicable

.....
Registration Officer (Municipality).

SUPPLEMENTARY VOTER'S LIST

Ward No. Name of ward Voter's List Part No. (if any)

(1) ENLARGMENT LIST

| Serial No. (1) | House No. (2) | Name of Voter (3) | Father's/Husband's Name (4) | Male/Female (5) | Age (6) | Photo of Voter (7) |
|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | |

.....
Registration Officer (Municipality).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.